कार्यालय जिलाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण

(जिला प्रोग्राम शाखा)

आदेश

समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 1846 दिनांक 10.06.10 के आलोक में समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिला के लिए महिला पर्यवेक्षिकाओं के रिक्त पदों के विरुद्ध अनुबंध के आधार पर सीधी औपबंधिक नियोजन हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन संख्या 1/2010 प्रकाशित किया गया था। साथ ही सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर अनुबंध के आधार पर औपबंधिक नियोजन हेतु विज्ञापन संख्या 2/2010 समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। इस आलोक में की गई उत्तरवर्त्ती कार्यवाही के पश्चात महिला पर्यवेक्षिका का नियोजन किया गया था और नियोजित पर्यवेक्षिकाओं को जिलाधिकारी के ज्ञापांक 209 दिनांक 30.3.12, ज्ञापांक 211 दिनांक 31.03.12 और ज्ञापांक 1038 दिनांक 06.09.12 के माध्यम से औपबंधिक नियोजन पत्र दिया गया था औपबंधिक नियोजन पत्र की कंडिका 5 के अनुसार सभी नियोजित पर्यवेक्षिकाओं की चयन अवधि मात्र एक वर्ष थी। एक वर्ष की इस अवधि के पूरी होने के बाद कार्यशैली एवं उपलब्धियों के आलोक में उनक अनुबंध अवधि के विस्तार का मामला विचाराधीन था।

निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार , पटना के ज्ञापांक 6998 दिनांक 19.12.13 से महिला पर्यवेक्षिकाओं के अवधि विस्तार के संबंध में गाईड लाईन प्राप्त है। इस पत्र के आलोक विभिन्न बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से विहित प्रपत्र में महिला पर्यवेक्षिकाओं का मूल्यांक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्राप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर महिला पर्यवेक्षिकाओं के अवधि विस्तार पर विचार किया गया। निदेशालय से प्राप्त गाईड लाईन के अनुसार महिला पर्यवेक्षिकाओं क अवधि विस्तार इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 633 दिनांक 03.02.14 द्वारा की गई थी। उक्त विस्तार सुगौली की 6, फेनहारा की 2, रामगढवा की 01 और मोतिहारी सदर की 01 महिला पर्यवेक्षिका का से विस्तार मात्र 6 माह के लिए की गई थी। पुनः संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा क गयी अनुशंसा के आलोक में इन महिला पर्यवेक्षिकाओं का अवधि विस्तार की स्वीकृति संबंधी दिनांक–2 01.2015 को जिला पदाधिकारी द्वारा संचिका संख्या–08–24/13 के पृष्ठ सं0–17/टि0 पर दिए ग आदेश के आलोक में निम्न सूची के अनुसार किया जाता है–

D/VVI/15

• महिला पर्यवेक्षिका के अवधि विस्तार विवरणी

क्र0 सं0	परियोजना	महिला पर्यवेक्षिका का नाम	कुल 200 अंक में प्राप्त किया गया अंक	प्राप्त, अंको का प्रतिशत	योगदान की तिथि	संविदा की एक वर्षीय अवधि	प्रथम विस्तारित अवधि का विवरण	वर्तमान विस्तारित अवधि का विवरण
1	सुगौली	बच्ची कुमारी	112	56	07-04-2012	06-04-2013	06-10-2013	06-10-2014
2	सुगौली	चन्दा कुमारी	124	62	04-04-2012	03-04-2013	03-10-2013	03-10-2014
3	सुगौली	उषा कुमारी	107	53.5	04-04-2012	03-04-2013	03-10-2013	03-10-2014
4	सुगौली	राजेश्वरी देवी	119	59.5	07-04-2012	06-04-2013	06-10-2013	06-10-2014
5	सुगौली	सरिता	112	56	04-04-2012	03-04-2013	03-10-2013	03-10-2014
6	सुगौली	श्यामा सुरभि	110	55	09-04-2012	08-04-2013	08-10-2013	08-10-2014
7	फेनहारा	अम्बालिका कुमारी	85	42.5	04-04-2012	03-04-2013	03-10-2013	03-04-2014
8	फेनहारा	रीमा कुमारी	85	42.5	04-09-2012	03-09-2013	03-03-2014	03-09-2014
9	रामगढवा	ज्योति कुमारी	84	42	04-04-2012	03-04-2013	03-10-2013	03-04-2014
10	मोतिहारी सदर	बबिता कुमारी	82	41	04-04-2012	03-04-2013	03-10-2013	03-04-2014

अन्य शर्तें संविदा पर की गई प्रारंभिक नियुक्ति के समय तैयार एकरारनामा के अनुसार होंगे।

ह0/ 29.1.15

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 10(रु0)/दिनांक 29.01.15/

प्रतिलिपि– सचिव, समाज कल्याण विभाग, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– निदेशक आई0सी0डी0एस0, निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि– संबंधित महिला पर्यवेक्षिकाओं,पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– डी0आई0ओ0, पूर्वी चम्पारण को पत्र को जिले के वेब साईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

ह0/ 29.1.15

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

D/VVI/15